न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 11/2010 प्रा0पत्र.14(4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

कन्हैया पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी सर तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री चन्दर सिंह, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः 28.6.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.5.1989 को ग्राम सर तहसील दौसा के आ0ख0नं0 502/516/522 मिन रकबा 0.60 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी कन्हैया को किया गया था। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प हापावास द्वारा अप्रार्थी कन्हैया पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी सर को ग्राम सर में दिनांक 31.5.1989 को खसरा नंबर 502/516/522 मिन में से 0.60 है0 भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने से आदिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन तिथि से आज दिन तक आवंटित भूमि में किसी प्रकार की काश्त नहीं की है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तो के अनुरूप आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस को सुना किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प हापावास द्वारा दिनांक 31.5.1989 को अप्रार्थी कन्हैया पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी सर को ग्राम सर स्थित आराजी खसरा नंबर 502/516/3 मिन में से 0.60 है. भूमि आवंटित की

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:01 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2067 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से हम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.5.1989 को अप्रार्थी कन्हैया को आवंटित की गई भूमि का आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप हापावास की बैठक दिनांक 31.5.1989 के द्वारा ग्राम सर में अप्रार्थी कन्हैया पुत्र छाजू गुर्जर के पक्ष में खसरा नंबर 502/516/3 मिन में से 0.60 है का किया गया आवंटन निरस्त किया किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक: 28 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:01 IST
Reason: SelfAttested